

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1198)/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), जिन्होंने तथ्यों को छुपाकर जीएनएम प्रशिक्षण अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन कर अवकाश स्वीकृत कराया है, को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	निदेशालय का अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक	अवकाश अवधि
1	श्रीमती अर्चना बैरवा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीबीरानी, खण्ड कोटकासिम, जिला अलवर	1. आदेश क्रमांक 522 दिनांक 22.05.2017 2. आदेश क्रमांक 769 दिनांक 26.04.2019 (क्रम सख्या 07 पर अंकित)	1. दिनांक 14.10.2016 से 13.10.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 14.10.2018 से 06.12.2018 तक 54 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 07.12.2018 से 04.02.2019 तक 60 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 05.02.2019 से 13.04.2019 तक 68 दिवस का असाधारण अवकाश। एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक 522 दिनांक 22.05.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में 1. दिनांक 14.04.2019 से 13.10.2019 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	कुमारी इन्दु गुप्ता	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	आदेश क्रमांक 521 दिनांक 08.05.2017	1. दिनांक 13.10.2016 से 12.10.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.10.2018 से 30.11.2018 तक 49 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 01.12.2018 से 07.01.2019 तक 38 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 08.01.2019 से 12.04.2019 तक 95 दिवस का असाधारण अवकाश।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1198)/2019/918 दिनांक:- 10-6-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती अर्चना बैरवा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अवकाश प्रकरण तथ्यों को छुपाकर भिजवाये जाने के सबंध में तुरन्त जाच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि कुमारी इन्दु गुप्ता का अवकाश प्रकरण तथ्यों को छुपाकर भिजवाये जाने के सबंध में तुरन्त जाच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटकासिम, अलवर।
5. प्रधानाचार्य, जीएनएमटीसी, अलवर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर